

"[FORM 12D]
[See rule 27-C)
PART I

**Letter of intimation to Assistant Returning Officer
(for absentee voters)**

To

The Assistant Returning Officer,
(for the notified class of electors)
.....Parliamentary/Assembly constituency
.....(designation and address of ARO)

Sir,

I,.....son/daughter/wife of.....resident of.....village/mohalla
Town/city/tehsil..... ..District.....(State) belong to the class of
absentee voter and wish to cast my vote by post at the election to the House of the
People/Legislative Assembly from theParliamentary/Assembly
constituency.

My complete present postal address is as under:-

House/dwelling unit/tent number.....
Camp/mohalla/tent number
Ward/town/tehsil.....
District.....

State.....PIN CODE.....
Mobile Phone No. (if available).....

My name is entered at serial number.....in Part No.....of the electoral roll
forParliamentary/Assembly constituency.

I am working as.....(designation of the office held)
in.....
(Name and full address of organization).

I will be on duty in the above-mentioned office on the day of poll for the above-
mentioned election.

*On account of my official duties on the date of poll, I will not be in a position to be
present in the polling station assigned to me on the day of poll.

OR

*I amyears of age/am a person with disability, and am not in a position to go
to the polling station to cast vote.

It is requested that postal ballot paper may be issued to me as absentee voter for the
above election.

Yours faithfully,

.....
(Full name and signature)

PART II

(for absentee voter other than senior citizen or persons with disability)

Certificate by the nodal officer appointed by the Organisation concerned.

It is hereby certified that the particulars given by the applicant in Part I are correct, and it is further certified that the applicant will be on official duty on the day of poll, and he/she will not be in a position to be present in the polling station on the day of poll.

.....
(full signature of the attesting Officer)
.....(Name)
.....(address)
.....(rubber stamp)

Strike off whichever is not applicable and tick the relevant statement.

Note - This Application must reach RO within 5 days following the date of notification of election.”

“[प्ररूप 12 घ]

[नियम 27 ग देखिए]”

भाग 1

सहायक रिटर्निंग आफिसर को सूचना के बारे में पत्र (अनुपस्थित मतदाताओं के लिए)

सेवा में,

सहायक रिटर्निंग आफिसर

(अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए)

.....संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

.....(सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम और पता)

महोदय,

में... .. पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी ग्राम/मोहल्ला.....

शहर/नगर/तहसील..... जिला.....

(राज्य) अनुपस्थित वर्ग का मतदाता हूं और..... निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा/विधान सभा के निर्वाचन में डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूं।

मेरा डाक का पूरा वर्तमान पता निम्नलिखित है-

गृह/निवास गृह/टेंट संख्या

कैंप/मोहल्ला/टेंट संख्या.....

वार्ड/नगर/तहसील

जिला.....

राज्य..... पिन कोड.....

मोबाइल फोन नं.(यदि उपलब्ध हो).....

मेरा नाम संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या

..... के क्रम संख्या..... पर दर्ज है।

में.....(धारित पदनाम) के रूप में(संगठन का नाम और पूरा पता) में कार्यरत हूँ।

मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन के लिए मतदान के दिवस को ऊपर वर्णित कार्यालय में ड्यूटी पर कार्यरत रहूंगा।

- मतदान की तारीख को मेरी शासकीय ड्यूटी के कारण, मैं मतदान के दिवस को मेरे लिए नियत मतदान केंद्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं रहूंगा।

या

** मैं वर्ष की आयु का हूँ/दिव्यांग व्यक्ति हूँ, और मैं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने की स्थिति में नहीं हूँ।

यह अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त निर्वाचन के लिए अनुपस्थित मतदाता के रूप में डाक मतपत्र जारी किया जाए।

भवदीय

.....
(पूरा नाम और हस्ताक्षर)

भाग-2

(वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्तियों से भिन्न अनुपस्थित मतदाता)

संबंधित संगठन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि भाग-1 में आवेदक द्वारा दी गई विशिष्टियां सही हैं और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक मतदान के दिवस को शासकीय ड्यूटी पर होगा/होगी और वह मतदान के दिवस को मतदान केंद्र पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं होगा/होगी।

.....
(सत्यापन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर)

नाम.....

पता.....

(रबर की मुद्रा).....

जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन पर चिह्न लगाएं।

टिप्पण: यह आवेदन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 दिन के भीतर रिटर्निंग आफिसर तक पहुंच जाना चाहिए।